न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, औरंगाबाद। उपस्थित– मनीष कुमार जायसवाल, अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, औरंगाबाद। दिनांक–21.09.2024 जी0आर0नं0–1312 / 2022 माली थाना कांड सं0–56 / 2022, सत्रवाद संख्या–390 / 2022 विचारण संख्या–109 / 2024	
अभियोजन	राज्य द्वारा मंदीप सिंह.....सूचक।
राज्य की ओर से	श्री महेन्द्र प्रसाद.....विद्वान अभियोजन पदाधिकारी।
अभियुक्तगण	1. मुकेश कुमार पिता हरिवंश सिंह, 2. मनरावती देवी पति हरिवंश सिंह, 3. रूपेश कुमार सिंह पिता हरिवंश सिंह, 4. हरिवंश सिंह पिता स्व0 करीमन सिंह, सभी निवासी ग्राम–करहरी, थाना–माली, जिला–औरंगाबाद (बिहार)।
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री नागेन्द्र सिंह।

अपराध की तिथि	13.06.2022
प्राथमिकी की तिथि	14.06.2022
अंतिम प्रपत्र की तिथि	12.09.2022
आरोप गठन की तिथि	10.11.2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	30.11.2022
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	10.09.2024
निर्णय की तिथि	21.09.2024
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	नहीं

अभियुक्तगण विवरणी

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	दोष मुक्ति / दोष सिद्धी	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि का धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत समायोजन
1	मुकेश कुमार	15.06.2022	28.02.2023	धारा 304(B), 120(B) / 34 भा0दं0सं0	दोष मुक्त	नहीं	––
2	मनरावती देवी	15.06.2022	28.02.2023				
3	रूपेश कुमार सिंह	05.07.2022					
4	हरिवंश सिंह	15.06.2022	28.02.2023				

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, औरंगाबाद।

उपस्थित– मनीष कुमार जायसवाल

जी0आर0नं0–1312 / 2022

माली थाना कांड सं0–56 / 2022, सत्रवाद संख्या–390 / 2022 विचारण संख्या–109 / 2024

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन गवाह,

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	अमित कुमार	अन्य गवाह
2	रवि कुमार सिंह	अन्य गवाह
3	मंदीप सिंह	सूचक / गवाह
4	बब्लु कुमार	अन्य गवाह
5	मोहन सिंह	अन्य गवाह
6	मुन्द्रिका सिंह	अन्य गवाह

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	xx	xx

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	xx	xx

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय के प्रदर्श की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श,

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–X	सुनैना देवी के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
2	प्रदर्श–1	लिखित आवेदन पर गवाह के रूप में अमित कुमार के हस्ताक्षर
3	प्रदर्श–2	लिखित आवेदन पर गवाह के रूप में रवि कुमार के हस्ताक्षर

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

ग. न्यायालय प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, औरंगाबाद।
उपस्थित– मनीष कुमार जायसवाल
जी0आर0नं0–1312/2022
माली थाना कांड सं0–56/2022, सत्रवाद संख्या–390/2022 विचारण संख्या–109/2024

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304(B), 120(B)/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दिनांक–10.11.2022 को आरोप का निर्धारण कर विचारण किया गया।

अभियोजन कथानक

2. प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त में अभियोजन का मामला यह है कि सूचक मंदीप सिंह ने अपनी पुत्री सुनैना कुमारी की शादी दिनांक–15.06.2021 को रूपेश कुमार सिंह के साथ किया था। शादी के तुरंत बाद से ही रूपेश कुमार सिंह सहित इस वाद के अन्य अभियुक्तगण जो सूचक के पुत्री के ससुराल के परिवारिक सदस्यगण थे मोटरसाईकिल एवं दो लाख रूपये दहेज के रूप में सूचक से मांग करने लगे और नहीं देने पर धमकी दिये कि उसकी पुत्री को नही रखेंगे। दिनांक–13.06.2022 को रात्रि में सूचक का दामाद का भाई मुकेश कुमार ने उसे फोन कर बताया की आपकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर जब सूचक अपने सपरिवार, अपनी पुत्री की ससुराल गये तो देखे की उसकी पुत्री मरी पड़ी हुई है। लाश को देखने से प्रतीत हो रहा था की उसे सभी लोग लाठी–डंडा से मारपीट किये है तथा उसके ललाट पर लाठी का चोट का निशान था। सूचक को पूर्णरूपेण विश्वास है कि इस वाद के सभी नामित अभियुक्तगण/उपरोक्त अभियुक्तगण उसकी पुत्री सुनैना कुमारी को साजिशन दान दहेज को लेकर लाठी–डंडा से मारपीट कर हत्या कर दिये है।

3. प्रस्तुत वाद में सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर माली थाना कांड संख्या–56/2022 दिनांक–14.06.2022 दर्ज की गई। अनुसंधानक द्वारा अनुसंधानोपरांत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304(B), 120(B)/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

4. दिनांकः–21.09.2022 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304(B), 120(B)/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया एवं वाद दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर विचारण हेतु क्रमिक रूप से इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–10.11.2022 को धारा 304(B), 120(B)/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर, आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण का बयान दिनांकः–30.08.2024 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लिया गया, जिसमें उन्होने अपने आप को निर्दोष बताया।

7. प्रस्तुत विचारण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तगण के

विरूद्ध धारा 304(B), 120(B)/34 भा0दं0सं0 के अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है या नहीं ?

मन्तव्य

8. अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक के द्वारा अभियुक्तगण के साथ संधि करने हेतु अनुमति आवेदन के साथ संधि पत्र दाखिल किया गया है। उभय पक्ष खुले न्यायालय में स्वेच्छा से संधि करने की बात स्वीकार की है, परन्तु धारा 304(B), 120(B)/34 भा0दं0सं0 सुलहनीय नहीं है। अतः उभय पक्षों द्वारा दाखिल सुलहनामा आवेदन खारिज किया जाता है। इस वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाएगा।

अभियोजन साक्ष्य

9. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से छः साक्षी नामतः अभियोजन साक्षी संख्या–1 अमित कुमार (मृतिका का चाचा), अभियोजन साक्षी संख्या–2 रवि कुमार सिंह (मृतिका का चचेरा भाई), अभियोजन साक्षी संख्या–3 मंदीप सिंह (सूचक), अभियोजन साक्षी संख्या–4 बब्लु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5 मोहन सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या–6 मुन्द्रिका सिंह को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सुनैना देवी के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श–X, प्राथमिकी के लिखित आवेदन पर गवाह के रूप में अमित कुमार और रवि कुमार के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श–1 एवं प्रदर्श–2 अंकित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–1 अमित कुमार (मृतिका का चाचा) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दहेज हमलोग नहीं दिये तो दिनांक–13.06.2022 को मेरी भतीजी सुनैना देवी को गला घोटकर हत्या अभियुक्तगण ने कर दिया। सूचना पर मैं, उसका भाई उत्तम कुमार, मेरा भतीजा रवि कुमार और एक मेहमान बब्लू कुमार ग्राम करहरी में गये तो देखे की आंगन में लाश पड़ा हुआ है, लाश को देखने पर यह पता चल रहा था कि सुनैना को मारपीट कर हत्या किया गया है। मैं देखा कि सुनैना के ललाट पर डंडा का चोट लगा हुआ था और नाक से खून आ रहा था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की छायाप्रति को पहचान हेतु प्रदर्श–X अंकित किया गया। प्राथमिकी के लिखित आवेदन पर गवाह के रूप में मेरा और रवि कुमार का हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर और रवि कुमार के हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, जिसे क्रमशः प्रदर्श–1 एवं 2 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण के पारा–11 में साक्षी का कथन है कि रूपेश कुमार से मुझे भेंट नहीं हुआ था। घटना के दिन। रूपेश से कलकत्ता का टिकट मांगा गया था, लेकिन वे नहीं दिये। पारा–15 में कहा है कि मुदालयगण दो लाख रूपया नगद और गाड़ी मांगने का लिखित शिकायत कोर्ट, थाना में नहीं किया गया था। पारा–27 में कहा है कि मृत्यु समीक्षा

रिपोर्ट माली थाना में तैयार किया गया और वहीं पर हमने हस्ताक्षर किया था। मृतिका सुनैना देवी के मरने के दस दिनों के बाद मृत्यु समीक्षा रिर्पोट पर हमसे हस्ताक्षर कराया था।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–2 रवि कुमार सिंह (मृतिका का चचेरा भाई) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सूचना पर मैं, अमित कुमार सिंह, बब्लु सिंह, मंदीप सिंह सुनैना के ससुराल गये तो वहॉ पर अपनी बहन की लाश को देखा कि मेरी बहन के गले में दाग था, मेरी बहन के ललाट पर चोट का निशान था।

प्रतिपरीक्षण के पारा–14 से 18 में साक्षी का कथन है कि यह केस अंदाज पर हो गया था। गाँव वाले गलत सूचना दे दिये थे। सुनैना कुमारी की मृत्यु सीढ़ी पर गिर जाने के कारण हुई थी। किसी मुदालय ने दहेज की माँग नहीं किया है। मुदालय लोग ने हत्या नहीं किया है। गलत सूचना के आधार पर यह केस दर्ज हो गया है। सुनैना भी अपने जिंदगी में दहेज के लिये प्रताड़ित करने की बात हमलोग से नहीं की थी।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–3 मंदीप सिंह (सूचक), अभियोजन साक्षी संख्या–4 बब्लु कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5 मोहन सिंह एवं अभियोजन साक्षी संख्या–6 मुन्द्रिका सिंह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं इन्होने अभियोजन वाद का कोई समर्थन नहीं किया।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों में जहाँ अभियोजन साक्षी संख्या–3 से 6 जिसमें सूचक भी शामिल है, के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अन्य अभियोजन साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या–1 अमित कुमार (मृतिका का चाचा) एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 रवि कुमार सिंह (मृतिका का चचेरा भाई) का साक्ष्य भी आपस में काफी विरोधाभाषी है। जहाँ अभियोजन साक्षी संख्या–1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरी भतीजी सुनैना देवी को गला घोटकर हत्या अभियुक्तगण ने कर दिया तथा जब वे सभी ग्राम करहरी में गये तो देखे की आंगन में लाश पड़ा हुआ है, लाश को देखने पर यह पता चल रहा था कि सुनैना को मारपीट कर हत्या किया गया है। मैं देखा कि सुनैना के ललाट पर डंडा का चोट लगा हुआ था और नाक से खून आ रहा था, जो स्वयं के कथन में ही विरोधाभाषी है वही इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन है कि रूपेश कुमार से मुझे भेंट नहीं हुआ था, घटना के दिन। मुदालयगण दो लाख रूपया नगद और गाड़ी मांगने का लिखित शिकायत कोर्ट, थाना में नहीं किया गया था। इस साक्षी का साक्ष्य का विश्लेषण अभियोजन साक्षी संख्या–2 से करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या–2 रवि कुमार सिंह (मृतिका का चचेरा भाई) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह अपनी बहन की लाश को देखा तो पाया कि मेरी बहन के गले में दाग था, मेरी बहन के ललाट पर चोट का निशान था जबकि प्रतिपरीक्षण के पारा–14 से 18 में इस साक्षी का कथन है कि यह केस अंदाज पर हो गया था। गाँव वाले गलत सूचना

दे दिये थे। सुनैना कुमारी की मृत्यु सीढ़ी पर गिर जाने के कारण हुई थी। किसी मुदालय ने दहेज की माँग नहीं किया है। मुदालय लोग ने हत्या नहीं किया है। गलत सूचना के आधार पर यह केस दर्ज हो गया है। सुनैना भी अपने जिंदगी में दहेज के लिये प्रताड़ित करने की बात हमलोग से नहीं की थी।

14. अभियोजन चिकित्सक, विवेचनाधिकारी अथवा अन्य कोई स्वतंत्र गवाह को प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

15. प्रस्तुत वाद में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304(B), 120(B) / 34 भा0दं0सं0 के अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। फलतः

आदेश

16. अतः उपरोक्त अभियुक्तगण नामतः 1. मुकेश कुमार, 2. मनरावती देवी, 3.रूपेश कुमार सिंह एवं 4. हरिवंश सिंह कोधारा 304(B), 120(B) / 34 भा0दं0सं0 के अभियोग से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। वाद के सभी जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

(मनीष कुमार जायसवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्,
औरंगाबाद।
21.09.2024

निर्णय आज खुले न्यायालय में लेखापित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

लेखापित

(मनीष कुमार जायसवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्,
औरंगाबाद।
21.09.2024